राजस्थान सरकार

लोहिया कॉलेज, चूरू

छात्र–संघ संविधान

अनुच्छेद 1 – इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों का एक संघ होगा जो लोहिया महाविद्यालय छात्र–संघ कहलायेगा।

उद्देश्य

अनुच्छेद 2 – **छात्र–संघ शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रयत्न करेगा कि विद्यार्थियों में :–**

1 नेतृत्व क्षमता एवं गुणों का विकास हो।

2 सह अस्तित्व की भावना का विकास हो।

3 सहयोग एवं अनुशासन की भावना विकसित हो तथा महाविद्यालय के प्रति निरन्तर कर्तव्यशील बने रहने एवं इसके विकास के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहने की भावना जागृत हो।

4 सामाजिक समस्याओं के प्रति सजग रहने की भावना विकसित हो।

5 राष्ट्र के प्रति आत्मोत्सर्ग की भावना का विकास हो।

6 अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास हो।

अनुच्छेद 3 – इसकी एक छात्र संसद होगी जो उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी परिषद् के माध्यम से समय–समय पर शैक्षिक, सहशैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।

सदस्यता

अनुच्छेद 4 – महाविद्यालय का प्रत्येक नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी अनिवार्यतः छात्र–संघ का सदस्य होगा। महाविद्यालय के संकाय सदस्य और प्रशासन के सदस्य छात्र–संघ के सदस्य नहीं होगें।

संरक्षक

अनुच्छेद 5 – महाविद्यालय के प्राचार्य छात्र–संघ के पदेन संरक्षक होंगे।

अनुच्छेद 6 – 1. छात्र–संघ के समस्त कृत्यों के सम्पादन में संरक्षक को अन्तिम शक्ति प्राप्त होगी।

2. इस संविधान की व्याख्या का अधिकार संरक्षक को होगा, जो अन्तिम होगा।

3. इस संविधान में अनुलिखित विषयों के सम्बन्ध मे निर्णय संरक्षक द्वारा लिया जायेगा, जो अन्तिम होगा।

अनुच्छेद 7 – **संरक्षक को अधिकार होगा कि वह :–**

1 इस संविधान के क्रियान्वयन हेतु नियम बनाए या बनवाए।

2 छात्र–संघ के सामान्य अथवा विशेष अधिवेशन को आहूत या स्थगित करे।

3 विशेष परिस्थितियों में छात्र–संघ को भंग करे।

4 इस संविधान या इस संविधान के किसी अनुच्छेद या उसके किसी अंश विशेष को सम्पूर्ण सत्र या किसी कालावधि के लिए स्थगित कर दे।

5 छात्र–संसद या कार्यकारिणी परिषद् के किसी सदस्य के विरूद्ध अभद्र आचरण, अनुशासनहीनता या कर्तव्य की अवहेलना की स्थिति में उपयुक्त कदम उठाए, जिसमें उसे पद से निलम्बित या पदच्युत करना भी शामिल है।

6 छात्र–संसद द्वारा पारित प्रस्ताव, संकल्प एवं बजट पर अपनी स्वीकृति दे अथवा विशेषाधिकार का प्रयोग करे।

परामर्शदाता मण्डल

अनुच्छेद 8 – परामर्शदाता मण्डल की नियुक्ति संरक्षक द्वारा प्राध्यापकों में से की जाएगी।

अनुच्छेद 9 – परामर्शदाता मण्डल इस बात का ध्यान रखेगा कि इस संविधान का उल्लंघन न हो।

अनुच्छेद 10 – परामर्शदाता मण्डल के सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद् की बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा।

अनुच्छेद 11 – कार्यकारिणी परिषद् एवं परामर्शदाता मण्डल अथवा उसके किसी सदस्य के मध्य मतवैभिन्य होने पर इसकी सूचना संरक्षक को दी जाएगी, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

अनुच्छेद 12 – परामर्शदाता मण्डल के सदस्यों को छात्र संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उनको मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

छात्र संसद

अनुच्छेद 13 – छात्र–संघ की अपनी एक संसद होगी, जो संरक्षक एवं छात्र–संसद के सदस्यों से निर्मित होगी।

अनुच्छेद 14 – **छात्र–संसद में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से होगा :–**

1 छात्र–संसद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव व कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा।

2 छात्र–संघ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्तसचिव छात्र संसद के पदेन सदस्य होंगे।

3 40 विद्यार्थियों पर एक कक्षा प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जायेगा। न्यूनतम 30 विद्यार्थी अतिरिक्त होने पर दूसरे अथवा तीसरे प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा।

4 स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षा/अनुभाग में 30 से कम विद्यार्थी होने पर न्यूनतम एक कक्षा प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा।

पात्रता मानदण्ड

अनुच्छेद 15 – **उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार होंगे :–**

1 स्नातक कर रहे 17 से 22 वर्ष के मध्य की आयु के विद्यार्थी चुनाव लड़ सकते हैं। चार वर्षीय पाठ्यक्रम में 17–23 वर्ष एवं पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में 17–24 वर्ष तक विद्यार्थी चुनाव में भाग ले सकते हैं। आयु की गणना नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को की जायेगी।

2 स्नातकोत्तर छात्रों हेतु वैध तरीके से चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी।

3 शोधार्थियों के लिए वैध रूप से चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी।

4 छात्रसंघ चुनाव हेतु उम्मीदवार के खाते में किसी भी परिस्थिति में कोई शैक्षणिक बकाया (Academic arrears) चुनाव लड़ने के वर्ष में नहीं होना चाहिए।

5 उम्मीदवार द्वारा उपस्थिति का वह न्यूनतम प्रतिशत जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाये या 75 प्रतिशत

उपस्थिति इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, हासिल किया जाना आवश्यक है।

6 उम्मीदवार के पास पदाधिकारी के पद के लिए चुनाव लड़ने का अवसर एक होगा और कार्यकारी सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने हेतु दो अवसर होंगे।

7 उम्मीदवार का पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए अर्थात वह कभी भी किसी आपराधिक कृत्य या दुराचरण के लिए विचारित (Tried) और/या दोष सिद्ध नहीं किया गया हो। यह भी कि उम्मीदवार को किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं बनाया गया हो।

8 उम्मीदवार अपने महाविद्यालय का नियमित व पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए और एक दूरस्थ/आसन्न शिक्षा का छात्र नहीं होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सभी पात्र उम्मीदवार एक पूर्णकालिक कोर्स में नामांकित हों जिसकी कि समयावधि न्यूनतम एक साल हो।

कालावधि, अधिवेशन एवं गणपूर्ति

अनुच्छेद 16 – पहले भंग किए जाने की स्थिति के अतिरिक्त छात्र संसद की कालावधि सदस्यों के शपथ ग्रहण के दिन से सत्रान्त तक होगी।

अनुच्छेद 17 – 1 प्रत्येक शैक्षिक सत्र में छात्र–संसद का कम से कम एक सामान्य अधिवेशन आहूत किया जाएगा।

2 आवश्यकता पड़ने पर संरक्षक द्वारा विशेष अधिवेशन आहूत किया जा सकता है।

अनुच्छेद 18 – सामान्य अधिवेशन की सूचना 5 दिवस पूर्व तथा विशेष अधिवेशन की सूचना कम से कम 2 दिवस पूर्व देनी होगी।

अनुच्छेद 19 – गणपूर्ति के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी एवं इस संविधान में उल्लिखित विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त अन्य निर्णय बहुमत से होंगे।

अनुच्छेद 20 – 1 छात्र–संसद को अधिकार होगा कि :–

(क) संरक्षक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत व्यवस्थापन कार्य करे।
(ख) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा प्रस्तुत बजट पर विचार कर पारित करे।
(ग) इस संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों को निर्देश दे।
(घ) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों से प्रश्न पूछे।
(ड.) संरक्षक की स्वीकृति से अपनी कार्यविधि बनाए।

2 बजट पर छात्र–संसद की स्वीकृति न मिलने पर संरक्षक को प्रस्तावित बजट पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।

3 छात्र–संसद को प्राचार्य महोदय अथवा प्राध्यापक मण्डल के आचरण के विषय में विचार करने का अधिकार नहीं होगा।

स्पीकर

अनुच्छेद 21 – 1 छात्र संसद का स्पीकर संरक्षक द्वारा संसद सदस्यों में से मनोनीत होगा और वह सत्र पर्यन्त अपने पद पर बना रहेगा।

2 स्पीकर संसद की बैठक की अध्यक्षता करेगा एवं इस पद से सम्बन्धित अन्य कार्य करेगा।

3 गणपूर्ति न होने पर या असामान्य स्थिति में वह सदन की बैठक को स्थगित कर सकेगा।

4 स्पीकर की अनुपस्थिति में संरक्षक द्वारा संसद सदस्यों में से मनोनीत डिप्टी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करेगा एवं स्पीकर की शक्तियों का उपयोग करेगा।

5. स्पीकर को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु परामर्शदाता मण्डल द्वारा मन्त्रणा दी जायेगी।

कार्यकारिणी परिषद्

अनुच्छेद 22 – कार्यकारिणी परिषद् निम्न सदस्यों से निर्मित होगी –

1	अध्यक्ष	6	साहित्य सचिव
2	उपाध्यक्ष	7	सांस्कृतिक सचिव
3	महासचिव	8	जन–सम्पर्क सचिव
4	संयुक्त सचिव	9	विकास सचिव
5	क्रीड़ा सचिव		

अनुच्छेद 23 – कार्यकारिणी परिषद् के पदाधिकारियों का निर्वाचन :–

कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महासचिव, एवं संयुक्त सचिव का निर्वाचन महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से होगा एवं सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को संरक्षक द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, एवं संयुक्त सचिव के रूप में निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

अनुच्छेद 24 –

1 कार्यकारिणी परिषद् के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त शेष पदाधिकारियों की नियुक्ति अध्यक्ष की सिफारिश पर संरक्षक द्वारा की जाएगी।

2 कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों के लिये अनिवार्य होगा कि वे छात्र संसद के सदस्य हो।

अनुच्छेद 25 **कार्यकारिणी परिषद् के कार्य –**

1 कार्यकारिणी परिषद् संरक्षक की पूर्व स्वीकृति से –

(क) छात्र–संसद द्वारा पारित प्रस्तावों को क्रियान्वित करेगी।

(ख) बजट तैयार कर छात्र–संसद के विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करेगी।

(ग) विभिन्न गतिविधियों का वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर इसे क्रियान्वित करेगी।

2 संरक्षक द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य सम्पादित करेगी।

3 कार्यकारिणी परिषद् अपनी कार्यप्रणाली निश्चित करेगी, छात्र–संसद द्वारा निर्दिष्ट उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु नियमों एवं उपनियमों का निर्माण करेगी तथा स्पीकर के परामर्श से संसद की समितियों का गठन करेगी।

अनुच्छेद 26 – अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति के अतिरिक्त अन्य अवस्था में कार्यकारिणी परिषद् का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से प्रारम्भ हो कर सत्रान्त तक होगा।

कार्यकारिणी परिषद् की बैठक

अनुच्छेद 27 – 1 अध्यक्ष की अनुमति से महासचिव कार्यकारिणी परिषद् की बैठक आमन्त्रित करेगा।

2 बैठक की स्वीकृति देने से पूर्व अध्यक्ष इस सम्बन्ध में संरक्षक की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

चुनाव सम्बन्धी व्यय एवं वित्तीय जवाबदेही

अनुच्छेद 28 – छात्रसंघ चुनाव में प्रतिवर्ष संरक्षक एवं प्राचार्य द्वारा घोषित चुनाव सम्बन्धी व्यय एवं वित्तीय जबवादेही उम्मीदवारों द्वारा पालना परिशिष्ट –I के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।

आचार संहिता

अनुच्छेद 29 – छात्रसंघ चुनाव में प्रतिवर्ष संरक्षक एवं प्राचार्य द्वारा घोषित चुनाव सम्बन्धी आचार संहिता की अनुपालना परिशिष्ट – II के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।

निर्वाचन

अनुच्छेद 30 – निर्वाचन सूचना, व्यवस्था एवं उसका संचालन संरक्षक द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार होगा।

पदों का रिक्त होना

अनुच्छेद 31 – छात्र संसद के सदस्य का पद रिक्त हो जायेगा यदि वह –

(क) पद से त्यागपत्र दे दे एवं उसका त्यागपत्र स्वीकृत हो जाए।

(ख) संरक्षक द्वारा सदस्यता हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाए।

(ग) अनुच्छेद 7 के खण्ड 5 के अन्तर्गत पदच्युत कर दिया जाए।

अनुच्छेद 32 – 1 **कार्यकारिणी परिषद् सदस्य का पद रिक्त हो जायेगा यदि –**

(क) कोई सदस्य अपने पद से त्यागपत्र दे दे एवं उसका त्यागपत्र स्वीकृत हो जाये।

(ख) वह अपने पद पर बने रहने के लिये अनर्ह घोषित कर दिया जाये।

(ग) अनुच्छेद 7 के खण्ड 5 के अन्तर्गत पदच्युत कर दिया जाये।

2 यदि चुनाव होने के दो महीने के अन्दर अध्यक्ष और/या महासचिव का कार्यालय पद रिक्त हो जाता है तो उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत कर दिया जायेगा। इसी प्रकार संयुक्त सचिव को महासचिव के पद पर पदोन्नति दे दी जायेगी। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय संरक्षक का होगा।

3 उपर्युक्त कारणों से या अविश्वास के संकल्प के पारित होने के फलस्वरूप यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाये तो उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव के अतिरिक्त सम्पूर्ण कार्यकारिणी परिषद् स्वतः भंग हो जाएगी।

अनुच्छेद 33 – अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव के अतिरिक्त कार्यकारिणी के किसी सदस्य को हटाये जाने का परामर्श देने पर संरक्षक द्वारा उस सदस्य को अपने पद से हटा दिया जायेगा।

अध्यक्ष एवं महासचिव पर अविश्वास की प्रक्रिया

अनुच्छेद 34–1 यदि छात्र संसद के 1/4 सदस्य अध्यक्ष या महासचिव के विरूद्ध अविश्वास के संकल्प की सूचना अपने हस्ताक्षर सहित दे तो उपर्युक्त संकल्प की सूचना प्राप्त होने पर संरक्षक द्वारा इस आशय की पूर्ति हेतु विशेष अधिवेशन आहूत किया जाएगा।

2 विशेष अधिवेशन आहूत करने से पूर्व संरक्षक हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की विश्वसनीयता के विषय में निर्णय लेने हेतु सक्षम होगा।

3 यदि अध्यक्ष अथवा महासचिव के विरूद्ध अविश्वास का संकल्प कुल सदस्य संख्या के 2/3 से पारित हो जावे तो स्पीकर इस आशय की सूचना संरक्षक को देगा एवं संरक्षक पारित संकल्प के अनुसार सम्बद्ध पदधारी को हटा देगा।

4 अविश्वास संकल्प सत्र में एक बार से अधिक प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 35 – अध्यक्ष पद रिक्त होने पर निवर्तमान अध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद् के समस्त अभिलेख एवं अपने पास का सारा सामान संरक्षक द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को हस्तान्तरित कर देगा।

संविधान संशोधन

अनुच्छेद 36 – 1. संशोधन के समस्त प्रस्ताव संरक्षक की पूर्व स्वीकृति से पुनः स्थापित किये जाएंगे।

2. यदि प्रस्ताव को कुल सदस्यों के 2/3 का समर्थन प्राप्त हो जाए तो प्रस्ताव पारित समझा जाएगा।

3. संरक्षक द्वारा स्वीकृत होने की तिथि से यह संशोधन संविधान में समाविष्ट हो जाएगा।

4. छात्र–संघ के अस्तित्व में न होने पर संरक्षक को इस संविधान में संशोधन करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 37 – परिभाषाएं –

1 संविधान से तात्पर्य लोहिया महाविद्यालय, चूरू के छात्र–संघ का संविधान होगा।

2 अनुच्छेद से तात्पर्य इस संविधान के अनुच्छेद से होगा। खण्ड से तात्पर्य उसके खण्ड से होगा जिसे (1)(2)(3) आदि के रूप में दर्शाया गया है। उपखण्ड से तात्पर्य खण्ड के भाग से होगा, जिसे (क)(ख)(ग) आदि के रूप में दर्शाया गया है।

3 संसद से तात्पर्य लोहिया महाविद्यालय, चूरू छात्रसंघ की संसद से होगा।

4 प्राचार्य से तात्पर्य प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य से होगा।

5 छात्र–संघ में छात्र एवं छात्राएं समाहित हैं, जो इस महाविद्यालय में नामांकित हैं।

6 वित्त से आशय – धनराशि को निकालने एवं उसके संचालन के विषय में संरक्षक द्वारा नियमों का निर्धारण किया जाएगा एवं संरक्षक द्वारा लेखे का अंकेक्षण किया जाएगा।

अनुच्छेद 38 – यह संविधान प्राचार्य (संरक्षक) द्वारा अधिघोषित तिथि से लागू होगा।

....

संरक्षक एवं प्राचार्य
लोहिया कॉलेज, चूरू

परिशिष्ट I

चुनाव सम्बन्धी व्यय एवं वित्तीय जवाबदेही

छात्रसंघ चुनाव

1. प्रति उम्मीदवार अधिकतम 5000/– रूपये के व्यय की अनुमति है।
2. चुनाव परिणाम के घोषित होने के दो सप्ताह के अन्दर हर उम्मीदवार महाविद्यालय को पूर्ण एवं अंकेक्षित लेखे सुपुर्द करेगा। महाविद्यालय ऐसे अंकेक्षित लेखों को एक उचित माध्यम के द्वारा प्राप्त होने के दो दिवस के अन्दर प्रकाशित कराएगा, जिससे कि छात्र निकाय का कोई भी सदस्य उनका स्वतन्त्र परीक्षण कर सके।
3. किसी भी प्रकार से उम्मीदवार द्वारा उक्त निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च किये जाने पर उस उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जाएगा।
4. छात्र चुनाव प्रक्रिया में राजनीति दलों से रूपयों की आवक को रोकने हेतु उम्मीदवारों पर छात्र निकाय द्वारा स्वैच्छिक योगदानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से कोई धनराशि लेना विशेष रूप से प्रतिबन्धित है।

संरक्षक एवं प्राचार्य
लोहिया कॉलेज, छात्रसंघ, चूरू

परिशिष्ट II

आचार संहिता

छात्रसंघ चुनाव

राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्र क्रमांक प.3(54)शिक्षा–4 / 2002 पार्ट दिनांक 25.06.2010 के द्वारा छात्रसंघ चुनाव के सम्बन्ध में प्राप्त लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप छात्रसंघ चुनाव कराये जाने हेतु दिशानिर्देश (संविधान) के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार उम्मीदवारों एवं चुनाव प्रशासकों हेतु निम्न प्रकार से आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जानी है :–

उम्मीदवारों व चुनाव प्रशासकों हेतु आचार संहिता :–

1. कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी प्रक्रिया / गतिविधि में लिप्त नहीं होगा, ना ही ऐसी किसी क्रिया / गतिविधि का उत्त्प्रेरण करेगा जो कि उपस्थित मतभेदों को बढ़ावा देवे या आपसी वैमनस्य या विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, धार्मिक अथवा भाषायी या विद्यार्थियों के किसी समुदाय या समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करे।
2. दूसरे उम्मीदवारों की आलोचना जब भी की जायेगी तब वह उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, उनके पूर्व रिकार्ड व कार्यों तक सीमित होगी। उम्मीदवार निजी जीवन के सभी पक्षों की आलोचना से बचेंगे जो अन्य उम्मीदवारों की सामाजिक गतिविधियों या उनके समर्थकों से सम्बन्धित नहीं हो। असत्यापित आरोपों व विद्रूपताओं पर आधारित अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की आलोचना से बचा जाएगा।
3. मत प्राप्ति हेतु जातीय अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं की जाएगी। पूजास्थल चाहे वे परिसर के अन्दर अथवा बाहर हों, चुनाव प्रचार हेतु इस्तेमाल नहीं किये जायेंगे।
4. सभी उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों / कार्यों में लिप्त होने या उनके उत्पीड़न करने से प्रतिबन्धित किया जाएगा जो कि भ्रष्ट आचरण एवं अपराध माने जाते हैं जैसे कि मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में प्रचार या use of propaganda, चुनाव के आखरी घण्टे से 24 घण्टे पूर्व के समय में जनसभा आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर लाना और वापिस छोड़ना।
5. किसी भी उम्मीदवार को छपे हुए पोस्टर्स, या किसी अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार प्रचार के वास्ते केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग कर सकेंगे तबकि जब ऐसे हस्तनिर्मित पोस्टर्स उपर्युक्त लिखित व्यय सीमा के अन्तर्गत बनाये गये हों।
6. उम्मीदवार केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग परिसर में कुछ जगहों पर कर सकेंगे जो कि पूर्व में ही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे।
7. किसी भी उम्मीदवार को महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियां, जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।

8. कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी भी उद्देश्य हेतु महाविद्यालय परिसर में किसी सम्पति को खण्डित अथवा नष्ट करने पर सभी उम्मीदवार संयुक्त रूप से एवं बारम्बार ऐसा विध्वंस अथवा खण्डन करने के दोषी होंगे।
9. चुनाव के दौरान महाविद्यालय परिसर में उम्मीदवार रैलियां निकाल सकते हैं, और जनसभा कर सकते हैं यदि ऐसी रैलियां या जनसभा किसी भी प्रकार से महाविद्यालय में चलने वाली कक्षाओं तथा दूसरी शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न न करें, साथ ही यह भी कि ऐसी रैली अथवा जनसभा को बिना महाविद्यालय प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
10. प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, वाहनों और जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।
11. मतदान के दिन छात्र संगठन एवं उम्मीदवार :–
    A. उम्मीदवार चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित अफसरों से सहयोग करेंगे। इस वास्ते कि शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित हो सके और मतदाताओं को अपना मताधिकार करने हेतु पूर्ण स्वतंत्रता होगी, बिना किसी नाराजगी या व्यवधान के।
    B. मतदान दिवस को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या दूसरी ठोस अथवा तरल भोज्य सामग्री वितरित नहीं करेंगे, पानी को छोड़कर।
    C. मतदान दिवस को किसी प्रकार का प्रचार/प्रचार सामग्री नहीं बांटेंगे।
12. मतदाताओं के अलावा अन्य कोई भी बिना किसी वैध पास/ अधिकार पत्र के महाविद्यालय के मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।
13. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निष्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाएंगे। यदि उम्मीदवारों को चुनावों के संचालन से सम्बन्धित कोई विशेष शिकायत अथवा समस्या हो तो वे उस समस्या को पर्यवेक्षक के ध्यान में लायेंगे।
14. मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के भीतर मतदान क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करना सभी उम्मीदवारों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।
15. उपरोक्त सिफारिशों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी खो देगा या उसे निर्वाचित पद से भी वंचित किया जा सकेगा। जैसा कि प्रसंगवश हो। ऐसे उल्लंघनकर्त्ता के विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
16. उपरोक्त वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान (sec 153 A and chapter IX A- चुनावों से सम्बन्धित अपराध) भी छात्रसंघ चुनावों पर लागू किये जा सकेंगे।

संरक्षक एवं प्राचार्य

राज. लोहिया महाविद्यालय

लोहिया कॉलेज, छात्रसंघ, चूरू